प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग,
जल संसाधन भवन, तुलसी नगर–03
दूरभाष.2552646,2552878 फैक्स 2552406,2551253
Email -encwrbpl.mp.@nic.in
–0–

क्रमांक 3314100 / 1–3 / 2019 /2204 भोपाल, दिनांक 17 नवम्बर,2021

प्रति,

श्री प्रवीण शर्मा,
प्रान्तीय अध्यक्ष,
मध्यप्रदेश सिंचाई (जल संसाधन)
विभाग स्पोर्टस क्लब,भोपाल

विषयः– मध्यप्रदेश सिंचाई (जल संसाधन) विभाग स्पोर्टस क्लब, भोपाल मध्यप्रदेश के प्रान्तीय अधिवेशन दिनांक 21–7–2019 में प्रान्तीय पदाधिकारियों का निर्वाचन कराये जाने के सम्बन्ध में ।

–0–

श्री मुईन उद्दीन कुरैशी, संस्थापक सदस्य मध्यप्रदेश सिंचाई जल संसाधन विभाग स्पोर्ट्स क्लब, भोपाल के पत्र क्रमांक 01 / 2021 दिनांक 9–11–2021 द्वारा की गई शिकायत जो कि प्रमुख अभियन्ता,जल संसाधन विभाग एवं मुख्य ट्रस्टी मध्यप्रदेश सिंचाई (जल संसाधन) विभाग स्पोर्ट्स क्लब भोपाल सम्बोधित है, छाया प्रति सम्प्रेषित कर लेख है कि बिन्दूवार वस्तुस्थिति मय साक्ष्य सहित अर्थात चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्याशी एवम् निर्वाचित पदाधिकारियों के पूर्ण विवरण सहित उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार ।

(ओ पी गुप्ता)
अधीक्षण यंत्री{प्रशासन}

M. 9589289986 E-mail : moinwrdsports@gmail.com

MOIN UDDIN QURESHI

International Hockey Umpire and Founder Member WRD Sports Club

Ref. 01/2021 Date 9/11/2021

प्रति,

प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
एवं मुख्य ट्रस्टी
मध्यप्रदेश सिंचाई (जल संसाधन)
विभाग स्पोर्ट्स क्लब, भोपाल म.प्र.

विषय :– मध्यप्रदेश सिंचाई (जल संसाधन) विभाग स्पोर्ट्स क्लब, भोपाल म.प्र. के प्रांतीय अधिवेशन दिनांक 21/07/2019 में प्रान्तीय पदाधिकारीयों का निर्वाचन कराये जाने के सम्बंध में।

संदर्भ :– प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग भोपाल को पत्र क्रं. 3314100/1–14/2018/807 दिनांक 21/06/2019

महोदय,

विषयान्तर्गत अनुरोध है कि मैं म.प्र. सिंचाई (जल संसाधन) विभाग भोपाल का संस्थापक सदस्य हूँ। सदंर्भित पत्र में दिये गये निर्देशानुसार दिनांक 21/07/2019 को भोपाल में प्रान्तीय पदाधिकारीयों का निर्वाचन कराने बावत् प्रक्रिया की गई थीं जिसमें, कई अनियमित्ताएं तथा दोषपूर्ण कार्यवाही की गई। मैंने भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रान्तीय अध्यक्ष के पद के उम्मीदवार के लिये विधिवत नामांकन जमा किया तथा निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लिया।

निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराने के लिये संदर्भित पत्र द्वारा एक निर्वाचन अधिकारी तथा दो सहायक निर्वाचन अधिकारियों को नियुक्त किया गया था, निर्वाचन प्रक्रिया में पूरे प्रदेश के स्पोर्ट्स क्लब के लगभग 350–400 के मध्य संरक्षक/आजीवन सदस्यों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया था। मेरे द्वारा सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त की गई जानकारी के आधार पर नोडल अधिकारी से निर्वाचन अधिकारियों के अतिरिक्त कार्य करने वाले व्यक्तियों की जानकारी चाही गई थी जिसके उत्तर में नोडल अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि स्पोर्ट्स क्लब के

निरंतर –2–

तीन संरक्षक सदस्यों (जो स्पोर्ट्स क्लब के प्रान्तीय कोषाध्यक्ष, प्रान्तीय अतिरिक्त महासचिव/प्रान्तीय प्रचार सचिव भी थे) को निर्वाचन कार्य में सहयोग हेतु अतिरिक्त रूप से नियुक्त किया गया जो कि अनावश्यक एवं मतदान को प्रभावित करने के उद्देश्य से किया गया। केवल 350-400 मतदाताओं के लिये के 3-3 चुनाव अधिकारी होने के बावजूद स्पोर्ट्स क्लब के 3 सदस्यों को निर्वाचन हेतु नियुक्त करने का उद्देश्य सीधे तौर पर धांधली एवं अनियमितता करना था ? मतदान कक्ष में भी कोई गोपनीयता नहीं रखी गई। स्पोर्ट्स क्लब के सदस्यों (पदाधिकारियों) को निर्वाचन में बिना आवश्यकता के संलिप्त करने से निर्वाचन की निष्पक्षता तथा गोपनीयता पर सवालिया निशान है ? ऐसी क्या परिस्थितियां निर्मित हुई कि दिनांक 21/07/2019 को स्पोर्ट्स क्लब के सदस्यों के बिना निर्वाचन संपन्न ही नहीं हो सकता था। मेरे द्वारा निर्वाचन अधिकारियों को दर्ज की गई मौखिक आपत्ति लेने पर कि स्पोर्ट्स क्लब के सदस्यों को निर्वाचन प्रक्रिया से दूर रखा जाये, यह कहकर खारिज कर दी गई कि निर्वाचन बिल्कुल निष्पक्षता एवं पारदर्शिता से संपन्न कराये जायेंगे, मैंने खेल भावना का परिचय देते हुए निर्वाचन अधिकारियों की बात मान ली किंतु जब परिणाम घोषित किये जाने लगे तो नोडल अधिकारी द्वारा नियुक्त स्पोर्ट्स क्लब के तीन सदस्यों द्वारा मतदान टेबल पर कब्जा कर लिया गया और अपनी मर्जी से मतगणना शुरू कर दी गई इसमें ना तो निरस्त किये गये मतपत्रों का मुझे अवलोकन कराया गया और ना ही मतपत्र लेखा तैयार किया गया और ना ही मुझे दिखाया गया।

मेरे द्वारा सूचना के अधिकार के तहत निम्न जानकारी नोडल अधिकारी से चाही गई :-

1. दिनांक 21/07/2019 को भोपाल में संपन्न म.प्र. सिंचाई जल संसाधन विभाग स्पोर्ट्स क्लब के प्रान्तीय पदाधिकारियों के निर्वाचन में प्रयुक्त, हस्ताक्षरयुक्त मतदाता रजिस्टर 17 (क)।

2. प्रत्याशी हेतु निर्धारित मतपत्र लेखा की सत्यापित जानकारी तथा निरस्त किये गये मतपत्रों की कुल संख्या।

उक्त वांछित जानकारी के उत्तर में संचालक सिंचाई अनुसंधान एवं नोडल अधिकारी स्पोर्ट्स क्लब निर्वाचन द्वारा जानकारी दी गई कि **चुनाव में संचालक सिंचाई अनुसंधान केवल नोडल अधिकारी थे, मांगे गये वांछित अभिलेखों का संधारण इस कार्यालय द्वारा नहीं किया गया, अतः जानकारी दी जाना संभव नहीं है**

निरंतर -3-

तो फिर नोडल अधिकारी ने स्पोर्ट्स क्लब के पदाधिकारियों को अतिरिक्त रूप से निर्वाचन के लिये क्यों नियुक्त किया एक और तो नोडल अधिकारी उनके पत्र दिनांक 06/09/2021 में यह स्वीकारोक्ति दे रहे हैं कि संचालक सिंचाई अनुसंधान केवल नोडल अधिकारी होने के कारण जानकारी नहीं दे सकते हैं वहीं दूसरी और नोडल अधिकारी की हैसियत से वह स्पोर्ट्स क्लब के सदस्यों को निर्वाचन में अतिरिक्त रूप से ड्यूटी लगा रहे हैं यह दोनों कार्यवाही पारस्परिक विरोधाभासी है। दोनो प्रकार की प्राप्त जानकारी से यह स्पष्ट हे कि दिनांक 21/07/2019 को भोपाल में संपन्न प्रान्तीय पदाधिकारियों के निर्वाचन में धांधली, अनियमित्ता तथा मनमानी की गई।

लोकतांत्रिक प्रक्रिया में समस्त निर्वाचन संवेधानिक रूप से नियमानुसार संपन्न कराये जाने चाहिए किंतु स्पोर्ट्स क्लब के निर्वाचन में नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाता है कि समस्त निर्वाचन में पारदर्शिता तथा नियमों का गंभीरता से पालन किया जाना चाहिए, फिर स्पोर्ट्स क्लब के निर्वाचन में मताधिकार करने वाले सदस्यों की कोई भी आई.डी. चैक क्यों नहीं की गई, बिना परिचय पत्र के मतदान करने वालों की पहचान कैसे की गई। मतदाता रजिस्टर क्यूं नहीं बनाया गया जिसमें मतदाताओं के हस्ताक्षर एवं कोई भी परिचय पत्र के अंतिम चार अंकों की प्रविष्टि की जाती है। बिना परिचय पत्र के स्पोर्ट्स क्लब के सदस्यों को मताधिकार का उपयोग कैसे दिया गया, प्रमाणित है कि फर्जी वोटिंग कराई गई, मतपत्र लेखा क्यों तैयार नहीं किया गया। निरस्त किये गये मतपत्रों का अवलोकन प्रत्याशी को क्यों नहीं कराया गया। उपरोक्त समस्त अनियमित तरीकें से संपन्न कराये गये निर्वाचन के बावजूद मैंने खेल भावना से सहजता से लेते हुए यह सोचकर कोई कार्यवाही नहीं की कि धीरे-धीरे सब व्यवस्थित हो जायेगा किंतु स्पोर्ट्स क्लब द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉकी अम्पायर को ज्ञानबूझकर क्लब से दूर रखा जाने लगा, क्लब में नियम होने के बावजूद भी पुराने पदाधिकारियों को क्लब में स्थान देते हुए, केवल मुझे छोड़ दिया गया, विगत दो वर्षों से मेरे साथ लगातार स्पोर्ट्स क्लब द्वारा उपेक्षापूर्ण तथा भेद-भाव वाला रवैया अपनाया जाने से मेरा खिलाड़ी मन आहत हुआ। दो वर्षों तक स्पोर्ट्स क्लब द्वारा खेल आयोजन सम्बंधी कोई कारगर कार्यवाही नहीं की गई, अपितु निर्वाचित पदाधिकारियों के विरूद्ध बदले के भावना से कार्य करते हुए उन्हें क्लब की अजीवन सदस्यता से निलंबित कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि जल संसाधन विभाग द्वारा विभागीय खेल कूद प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु खेल कैलेण्डर जारी किया गया

निरंतर -4-

है जिसके अनुसार पूर्व से निर्धारित स्थानों पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं किंतु क्लब द्वारा विभाग प्रमुख को भ्रमक जानकारी देकर प्रतियोगिता स्थल को प्राकृतिक विपदा के कारण स्थगित करने की बजाय निरस्त करके भोपाल में आयोजित करने का निर्णय लिया गया जो अनुचित है।

मैंने अपनी खेल भावना से वशीभूत होकर अभी तक कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं की किंतु स्पोर्ट्स क्लब द्वारा अन्याय की सभी बाधाएं पार करते हुए, मुझे क्लब का संस्थापक एवं निर्माणकर्ता होने के बावजूद भी दूर रखा गया, यह मेरे साथ अन्याय है।

मेरे द्वारा आपके संज्ञान में निर्वाचन में हुई अनियमित्ता को स्पोर्ट्स क्लब का मुख्य ट्रस्टी होने के नाते उपरोक्त तथ्य उजागर किये गये हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया स्पोर्ट्स क्लब का मुख्य ट्रस्टी होने के नाते मेरे द्वारा तथ्यात्मक तथा साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत जानकारी का गंभीरतापूर्वक अवलोकन कर कृपया दिनांक 21/07/2019 को संपन्न स्पोर्ट्स क्लब के प्रान्तीय पदाधिकारियों के निर्वाचन को निरस्त करने सम्बंधी कार्यवाही तत्परता से करने का कष्ट करें।

कृपया इस सम्बंध में 15 दिनों में निर्वाचन सम्बंधी समस्त जांच निर्देश एवं निर्णय लेने का कष्ट करें, अन्यथा की स्थिति में मैं अपने अधिकारों की प्राप्ति हेतु विधि सम्मत कार्यवाही करने तथा रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसायटी म.प्र. को अनियमित्त रूप से कराये गये निर्वाचन को चुनौती देने बावत् कार्यवाही प्रारंभ कर दूंगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी स्पोर्ट्स क्लब एवं विभाग की होगी। सुलभ संदर्भ हेतु आवश्यक अभिलेखों की छायाप्रतियां संलग्न है।

सादर

दिनांक 09/01/2021

भवदीय

(मुईन उद्दीन कुरैशी)
संस्थापक सदस्य
म.प्र. सिंचाई जल संसाधन,
विभाग, स्पोर्ट्स क्लब, भोपाल
म.प्र.

प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग,
जल संसाधन भवन, तुलसी नगर–03
दूरभाष.2552646,2552878 फैक्स 2552406,2551253
Email -encwrbpl.mp.@nic.in
–0–

क्रमांक 3314100/1–14/2018 /807 भोपाल, दिनांक 27 जून,2019

प्रति,

{1} आयुक्त,
भू–अर्जन एवं पुर्नवास बाणसागर परियोजना, जल संसाधन विभाग रींवा(04){मध्यप्रदेश}

{2} आयुक्त,
कमाण्ड क्षेत्र विकास संचालनालय,जल संसाधन विभाग, भोपाल(33){मध्यप्रदेश}

{3} समस्त मुख्य अभियन्ता,
जल संसाधन' विभाग,
....
{मध्यप्रदेश}

{4} समस्त मुख्य अभियन्ता,
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण
....
{मध्यप्रदेश}

{5} परियोजना संचालक,
एम.के.पी.एम.यू.
राजगढ़(32){मध्यप्रदेश}

{6} वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी कार्यालय प्रमुख अभियंता,जल संसाधन विभाग, भोपाल {मध्यप्रदेश}

विषयः– मध्यप्रदेश सिंचाई (जल संसाधन) विभाग स्पोर्टस क्लब,भोपाल के प्रान्तीय अधिवेशन दिनांक 21–07–2019 में प्रान्तीय पदाधिकारियों का निर्वाचन करायेजाने के सम्बन्ध में ।

संदर्भः– मध्यप्रदेश सिंचाई (जल संसाधन) विभाग स्पोर्टस क्लब का पत्र क्रं. 34/प्रा.अ./स्पोर्ट्स./भोपाल/2019 दिनांक 24–06–2019.

–0–

संदर्भित पत्र के तारतम्य में मध्यप्रदेश सिंचाई (जल संसाधन) विभाग स्पोर्टस क्लब के नियमोपनियम के अन्तर्गत दिनांक 21–7–2019{रविवार} को प्रान्तीय अध्यक्ष, प्रान्तीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष एव प्रान्तीय अंकेक्षक के निर्वाचन निष्पक्ष, निर्विवाद रूप से सम्पन्न कराये जाने हेतु निम्नानुसार अधिकारियो को मनोनीति किया जाता हैः–

1–	नोडल अधिकारी {पर्यवेक्षक}	श्री जे एस कुसरे, संचालक, अनुसंधान,जल संसाधन विभाग,भोपाल(22)
2–	चुनाव अधिकारी	श्री पी के बारूआ, कार्यपालन यंत्री कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन विभाग,भोपाल(01)
3–	सहायक चुनाव अधिकारी	सुश्री किरण भाबोर, सहायक यंत्री कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन विभाग,भोपाल(01)
		श्री मनीष गुप्ता सहायक यंत्री कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन विभाग,भोपाल(01)

प्रमुख अभियंता द्वारा अनुमोदित ।

(अमिताभ मिश्रा)
अधीक्षण यंत्री{प्रशासन}

पृष्ठांकन क्रमांक 3314100 / 1–14 / 2018/808
प्रतिलिपि–

भोपाल, दिनांक 27 जून,2019

1– सदस्य (अभियांत्रिकी) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल।
2– समस्त अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन विभाग/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ————
3– श्री जे एस कुसरे,संचालक,अनुसंधान,जल संसाधन विभाग,भोपाल(22)
4– श्री पी के बारुआ,कार्यपालन यंत्री कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,जल संसाधन विभाग,भोपाल(01)
5– सुश्री किरण भाबोर,सहायक यंत्री कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,जल संसाधन विभाग,भोपाल(01)
6– श्री मनीष गुप्ता,सहायक यंत्री कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,जल संसाधन विभाग,भोपाल(01)
7– प्रान्तीय अध्यक्ष,मध्यप्रदेश सिंचाई(जल संसाधन विभाग) स्पोर्टस क्लब,भोपाल{मध्यप्रदेश}। कृपया नोडल अधिकारी {पर्यवेक्षक} से तिथि/समय की पुष्टि उपरान्त निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण करें।
2– साथ ही क्लब की नियमावली की पुस्तक (नियमोपनियम)/सभी सदस्यों की प्रमाणित सूची/निर्वाचन कार्य में लगने–प्रयुक्त होने वाली समस्त सामग्री आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करें। तदसम्बन्धी जानकारी चुनाव अधिकारी/सहायक चुनाव अधिकारी से समन्वय स्थापित कर वस्तुस्थिति उनके संज्ञान में भी लावें।
8– समस्त क्षैत्रीय अध्यक्ष, मध्यप्रदेश सिंचाई (जल संसाधन) विभाग स्पोर्टस क्लब, भोपाल, जबलपुर, इन्दौर, ग्वालियर, रींवा, होशंगाबाद{मध्यप्रदेश}
9– वेब मैनेजर EIMS कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,जल संसाधन विभाग भोपाल (01) की ओर विभाग की बेवसाइट में प्रविष्टि हेतु।
10– शेडो नस्ती।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(अमिताभ मिश्रा)
अधीक्षण यंत्री{प्रशासन}

[illegible]

[illegible] है।

अतः चुनाव निर्विघ्न सम्पन्न हेतु मतदान के निम्नांकित (रिजर्व) सदस्यों को नियुक्त करने के प्रयोजन हेतु अतिरिक्त रूप से नियुक्त किया जाता है।

(1) श्री शिव कुमार नागोर - रिजर्व सदस्य
(2) श्री राजकुमार श्रीवास्तव - रिजर्व सदस्य
(3) श्री मोहन शर्मा - रिजर्व सदस्य

(डॉ० [illegible])
[illegible] (प्रभारी)

प्रतिलिपि :-

(1) चुनाव अधिकारी
(2) सहायक चुनाव अधिकारी
(3) श्री शिव कुमार नागोर, श्री राजकुमार श्रीवास्तव एवं श्री मोहन शर्मा को ओर सूचनार्थ ([illegible])

Verified copy
Official Record.
19/7/2021
AE(D) / DER

(डॉ. [illegible])
[illegible] (प्रभारी)

कार्यालय संचालक,
सिंचाई अनुसंधान, जल संसाधन विभाग,
जल संसाधन भवन, (एनेक्सी) तुलसी नगर भोपाल

पत्र क्रमांक–184 / कार्य / सं.सि.अनु. / 2021 / 731 भोपाल दिनांक 6 / 09 / 2021

प्रति,

श्री मुईन उद्दीन कुरेशी
आवास क्रमांक –ए–72 बाग दिलकुशा
रायसेन रोड भोपाल पिन कोड 462023
मो. नं.:– 9589289986

विषयः– सूचना का अधिकार 2005 धारा 6 (1) के अंतर्गत जानकारी प्रदाय करने बाबत्।

----00----

उपरोक्त विषय के संबंध में लेख है कि आपके द्वारा सूचना का अधिकार 2005 धारा 6 (1) के अंतर्गत किये गये आवेदन दिनांक 12 / 08 / 2021 के संबंध में अवगत कराया जाता है कि मध्यप्रदेश सिंचाई (जल संसाधन) विभाग स्पोर्टस क्लब भोपाल के दिनांक 21 / 07 / 2019 को संपन्न हुये चुनाव में संचालक सिंचाई अनुसंधान केवल नोडल अधिकारी थे, आपके द्वारा मांगे गए वांछित अभिलेखों का संधारण इस कार्यालय द्वारा नहीं किया गया है। अतः चाही गई जानकारी इस कार्यालय से दिया जाना संभव नहीं है।

सहपत्र :– शून्य

लोक सूचना अधिकारी
संचालक सिंचाई अनुसंधान
जल संसाधन विभाग, भोपाल